तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज चेतन राठौड़ बनाम लो.सू.अ. (अति. कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 64 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.0619	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी चेतन राठौड़ पुत्र मोहनलाल राठौड़ मार्फत कार्यालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एम.आई.एक्ट प्रकरण न्यायालय, जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर पाली ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.03.2019 में उसके द्वारा (1) अपने घरवालों की मर्जी के विरूद्ध जाकर अपनी स्वेच्छा से जोधपुर के किसी पंजीकृत आर्य समाज में हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अन्तर्जातीय विवाह करने वाले युगल का विवाह पंजीयन करने के लिये वर्तमान में जो भी नियम / आदेश / दिशा निर्देश एवं प्रकिया लागू है, उन सभी की प्रमाणित प्रति उलब्ध कराने व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अति. कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अति. कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अति. कलक्क्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अति. कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया	